[2025]9 एस.सी.आर 528 :2025 आई.एन.एस.सी 1085

महा मिनरल माइनिंग एंड बेनेफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड एवं अन्य

(सिविल अपील क्रमांक 11726/2025)

09 सितम्बर 2025

(न्यायमूर्ति सूर्यकांत एवं न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची)

विचारणीय बिंदु

विवाद्यक यह उत्पन्न हुआ कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता-बोलीदाता को धारा 5(डी) के अंतर्गत संयुक्त उद्यम समझौता प्रस्तुत न करने के कारण अयोग्य घोषित किये जाने के निर्णय को उचित ठहराया गया था; और क्या अपीलकर्ता को अयोग्य ठहराया जा सकता था क्योंकि उसकी वाशरीज विशेष रूप से राज्य खनन निगम को समर्पित थीं|

शीर्ष टिप्पणियाँ

निविदा - निविदा आमंत्रण सूचना - खंड (5)डी और खंड (5)बी -अयोग्यता - प्रथम प्रतिवादी ने ताप विद्युत परियोजना के लिए कोयला लाभकारीकरण एवं लॉजिस्टिक्स प्रबंधन हेतु निविदा आमंत्रित की - अपीलकर्ता और अन्य ने अपनी बोली प्रस्तुत की - हालाँकि, समिति द्वारा तकनीकीमूल्यांकन के दौरान अपीलकर्ता-बोलीदाता को एनआईटी के खंड संख्या (5)डी के अनुसार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया - संयुक्त उद्यम समझौता दाखिल न करना - समिति के निर्णय को अपीलकर्ता द्वारा चुनौती दी गई - उच्च न्यायालय ने एनआईटी के खंड 5(डी) का पालन न करने के कारण समिति द्वारा अपीलकर्ता की अयोग्यता को यथावत रखा और यह भी माना कि यदि संयुक्त उद्यम समझौता प्रस्तुत भी किया गया होता, तो भी अपीलकर्ता अयोग्य माना जाता क्योंकि उसकी वाशरी विशेष रूप से राज्य खनन निगम के लिए प्रतिबद्ध थी - यथार्थता:

अभिनिर्धारित किया गया : प्रथम प्रतिवादी ने एनआईटी की शर्तों के विपरीत कार्य किया और

संयुक्त उद्यम समझौता प्रस्तुत न करने के कारण अपीलकर्ता की बोली को अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया, हालाँकि खंड 5(डी) में ऐसे समझौते को प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं बताया गया था

ऐसे संघ के पिछले अनुभव पर निर्भर रहने के लिए जिसमें बोलीदाता का एक निश्चित आनुपातिक हिस्सा था -समिति का निर्णय, खंड 5(डी) के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा यथावत रखा गया, अपास्त किए जाने योग्य - वाशरी क्षमता से संबंधित विवाद्यक एक विवादास्पद विवाद्यक है एवं उच्च न्यायालय द्वारा इसका निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए था।

न्यायालय ने अपीलकर्ता को इसका खंडन करने का अवसर दिए बिना ही - उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की भी अपेक्षा की है कि समिति ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया था और समिति द्वारा दिए गए कारणों से आगे बढ़कर अपीलकर्ता को अयोग्य घोषित करना उसके लिए अनुचित था - दूसरे प्रतिवादी को कार्य आदेश का आवंटन इस कार्यवाही के परिणाम के अधीन कर दिया गया है - मामले को नए सिरे से विचार के लिए वापस प्रेषित किया जाता है कि क्या अपीलकर्ता के पास एनआईटी के खंड 5(बी) के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त धुलाई क्षमता थी और इस निर्णय के आलोक में दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में कार्य आदेश की वैधता - उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय और आदेश रद्द किया जाता है। [खंड 20, 21, 24-26]

कीवर्ड की सूची

अयोग्यता; एनआईटी का खंड 5(डी); संयुक्त उद्यम समझौता प्रस्तुत न करना;वाशरी; निविदा; निविदा आमंत्रण सूचना; एनआईटी का खंड(5)बी; ताप विद्युत परियोजना के लिए कोयला लाभकारीकरण एवं लॉजिस्टिक्स प्रबंधन ; समिति द्वारा तकनीकी मूल्यांकन;प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करना; संयुक्त उद्यम समझौता; राज्य खनन निगम।

किससे उद्भूत मामला

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 11726 वर्ष 2025 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर स्थित मुख्य पीठ के दिनांक 06.01.2025 के निर्णय एवं आदेश से, WP संख्या 18286 वर्ष 2024

पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण

अधिवक्तागण अपीलार्थीगण की ओर से:

नरेंद्र हुडा, वरिष्ठ वकील, गगन सांघी, श्रीमती फराह हाशमी,संतोष घाटे,रामेश्वर प्रसाद गोयल.

प्रत्यर्थियों की ओर से :

बिजेंद्र चाहर, ए.एस.जी., श्याम दीवान, बलबीर सिंह, अर्पण पवार,वरिष्ठ अधिवक्ता, कार्तिक सेठ, सुश्री रंजीता रोहतगी, निखिल नासरे, राघवशर्मा, सुश्री अदिति मिश्रा, के.एम अबीश, मनन, सुश्री श्रीका गौतम,हिमांशु सतीजा, हर्ष सक्सैना, चिरंजीव शर्मा, पुलकित पवार,श्रीमती नेहा मेहता सतीजा।

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय /आदेश

निर्णय

1. अनुमति प्रदान की गई |

तथ्यात्मक आव्यूह

2. श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, खंडवा (मध्य प्रदेश) के लिए वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (नागपुर क्षेत्र)[2] के स्रोतों से रन-ऑफ-माइन (आरओएम) कोयला लाभकारीकरण एवं लॉजिस्टिक्स प्रबंधन के उद्देश्य से प्रथम प्रतिवादी द्वारा जारी दिनांक 17.05.2024 की निविदा आमंत्रण सूचना[1] के प्रत्युत्तर में, अपीलकर्ता और दो अन्य, अर्थात् प्रतिवादी2[3] और मेसर्स एनएन ग्लोबल मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी बोली प्रस्तुत की थी।

3. चूँकि एनएन ग्लोबल मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड बयाना राशि जमा नहीं कर सका, इसलिए केवल अपीलकर्ता और प्रतिवादी क्रमांक 2 ही मैदान में बने रहे। 04.07.2024 को, निविदा मूल्यांकन समिति[4] ने एनआईटी के खंड 5(डी) [5] का हवाला देते हुए अपीलकर्ता की तकनीकी बोली को इस प्रकार खारिज कर दिया -

महा मिनरल माइनिंग एंड बेनेफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड एवं अन्य

"एनआईटी के खंड संख्या 5(डी) "पिछले अनुभव मानदंड" के अनुसार, बोलीदाता को निविदा के पिछले अनुभव मानदंडों को पूरा करने के लिए अपने पिछले कंसोर्टियम या संयुक्त उद्यम (**यदि कंसोर्टियम समझौते में परिभाषित है** तो उस कंसोर्टियम में उसके हिस्से के अनुपात में,अन्यथा, यदि कंसोर्टियम में परिभाषित नहीं है तो प्रमुख भागीदार) के पिछले अनुभव का उपयोग करने की अनुमति है।

फर्म ने पिछले अनुभव मानदंडों को पूरा करने के लिए अपने कंसोर्टियममेसर्स हिंद-महा-मिनरल एलएलपी के प्रत्यय पत्र का उपयोग किया है। हालाँकि, उस कंसोर्टियम में बोलीदाता के हिस्से को प्रमाणित करने के लिए कंसोर्टियम/संयुक्त उद्यम का समझौता प्रस्तुत नहीं किया गया है।एनआईटी के खंड संख्या (5)डी के अनुसार क्रेडेंशियल्स प्रस्तुत न करने के कारण बोलीदाता को अयोग्य घोषित किया जाता है।"

4. अपीलकर्ता ने समिति के निर्णय को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी।[6] अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि न तो खंड 5(डी) और न ही एनआईटी की किसी भी शर्त में स्पष्ट रूप से किसी बोलीदाता को, जो किसी पूर्व संघ या संयुक्त उद्यम[7] के पिछले अनुभव पर निर्भर था, संघ में अपनी आनुपातिक हिस्सेदारी प्रदर्शित करने के लिए संयुक्त उद्यम समझौता प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। खंड 5(डी) के अनुसार, उसने महाराष्ट्र राज्य खनन निगम[8] से एक कार्य निष्पादन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अन्य बातों के *साथ-साथ* यह भी कहा गया था कि अपीलकर्ता दिनांक 02.12.2019 के संयुक्त उद्यम समझौते के तहत मेसर्स हिंद महा मिनरल एलएलपी का 45% संयुक्त उद्यम/संघ भागीदार था और उसने 05.03.2021 से 05.03.2024 की अवधि के लिए डब्ल्यूसीएल कमांड के संबंध में इसी प्रकार का कार्य निष्पादित किया था। यह भी स्पष्ट किया गया कि संयुक्त उद्यम समझौता एमएसएमसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
5. संदेह की स्थिति में, प्रथम प्रतिवादी एमएसएमसी से प्राप्त प्रमाण पत्र की सत्यता की पुष्टि कर सकता था या अपीलकर्ता से संयुक्त उद्यम समझौता प्रस्तुत करने का अनुरोध कर सकता था। इसके विपरीत, प्रथम प्रतिवादी ने मनमाने ढंग से तकनीकी बोली को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि संयुक्त उद्यम समझौता प्रस्तुत नहीं किया गया था।
6. प्रथम प्रतिवादी ने इस पक्ष का खंडन किया और तर्क दिया कि यदि कोई बोलीदाता किसी पूर्ववर्ती कंसोर्टियम/संयुक्त उद्यम के पिछले अनुभव निर्भरता प्रकट करना चाह रहे हैं , तो संयुक्त उद्यम समझौते का प्रस्तुतीकरण एनआईटी के खंड 5(डी)में निहित है। इसके अतिरिक्त , खंड 8.1 में प्रावधान है कि यदि बोलीदाता बोली प्रस्तुत करते समय एनआईटी के अनुसार

वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे बाद में दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसकी बोली अपूर्ण दस्तावेजों के कारण अस्वीकृत की जा सकती है। एनआईटी के खंड 8.1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि -

"**कमी वाले दस्तावेजों** के संबंध में निर्देश:-

(i) **जो बोलीदाता एनआईटी/निविदा दस्तावेज के अनुसार सभी वांछित दस्तावेज बोली जमा करते समय जमा नहीं करते हैं, उन्हें बाद में दस्तावेज जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और अपूर्ण दस्तावेजों के कारण उनकी बोलियां अस्वीकार कर दी जाएंगी। इस प्रकार, एमपीपीजीसीएल द्वारा ई-निविदा में कमी वाले दस्तावेज जमा करने के लिए कोई "कमी वाली विंडो" नहीं बनाई जाएगी।**

(ii) तदनुसार, मानक बोली दस्तावेज़ (एसबीडी) के खंड संख्या 1.15 (VII) "प्रमाणपत्रों/पीक्यूआर का सत्यापन" जहाँ तक यह "दस्तावेज़ की कमी" विंडो से संबंधित है, लागू नहीं होगा।

(iii) एनआईटी/निविदा दस्तावेज़ में अन्यत्र उल्लिखित कोई भी शर्त, कमी प्रस्तुत करने के लिए लागू नहीं होगी।

(iv) हालाँकि, तकनीकी-व्यावसायिक स्पष्टीकरण (यदि आवश्यक हो)बोलीदाताओं से ई-मेल/भौतिक रूप से प्राप्त किया जाएगा।"|

(बल दिया गया)

उक्त खंड को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 29.11.2023 को जारी परिपत्र क्रमांक F-3/25/2015/13/109 द्वारा और पुष्ट किया गया है।

7. अपीलकर्ता को संयुक्त उद्यम समझौता प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बारे में पूरी जानकारी थी जिससे संघ में अपनी आनुपातिक हिस्सेदारी प्रदर्शित की जा सके ताकि वह ऐसे पूर्व संघ/संयुक्त उद्यम के पूर्व अनुभव पर भरोसा कर सके। वास्तव में, समापन तिथि के पश्चात् , 05.07.2024 के ईमेल द्वारा, अपीलकर्ता ने कथित तौर पर 06.09.2019 का एक संयुक्त उद्यम समझौता प्रस्तुत किया, जो कि एमएसएमसी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उल्लिखित 02.12.2019 के संयुक्त उद्यम समझौते के अनुरूप नहीं था। बहरहाल, 29.11.2023 के परिपत्र के साथ पठित एनआईटी के खंड

8.1 के अनुसार इस तरह का बाद में प्रस्तुत किया जाना अस्वीकार्य था और तकनीकी बोली को अपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण अस्वीकार कर दिया गया था।

8. रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, दूसरे प्रतिवादी को सफल बोलीदाता घोषित किया गया और उसे कार्यवाही में पक्षकार बनाया गया।सुनवाई के दौरान, दिनांक 02.12.2019 का संयुक्त उद्यम समझौता रिकॉर्ड में प्रस्तुत किया गया । पक्षकारों की ओर से लिखित निवेदन भी प्रस्तुत किये गए।

उच्च न्यायालय के निष्कर्ष

9. आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने समिति के निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें निम्नलिखित निर्णय दिया गया:-

> "**22.** याचिकाकर्ता द्वारा संयुक्त उद्यम समझौता दाखिल न करने के कारण, याचिकाकर्ता की बोली को अस्वीकार करने वाले आक्षेपित आदेश को देखा जाना चाहिए, जिसमें शुरू में यह कहा गया है कि उपरोक्त निविदा के लिए आपकी बोली को विधिवत गठित समिति द्वारा तकनीकी मूल्यांकन के दौरान इस कारण से अस्वीकार कर दिया गया है कि बोलीदाता एनआईटी के खंड संख्या (5)डी के अनुसार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अयोग्य है।" यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने संयुक्त उद्यम समझौता दाखिल नहीं किया है। याचिकाकर्ता खंड (5)डी के अनुसार आवश्यकताओं का पालन न करने के कारण अयोग्य है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने उत्तर में यह भी बताया है कियाचिकाकर्ता को अयोग्य क्यों ठहराया गया। यदि याचिकाकर्ता 02.12.2019 के संयुक्त उद्यम समझौते पर भरोसा कर रहा है, तो यह याचिकाकर्ता का कर्तव्य था कि वह बोली जमा करते समय उसे दाखिल करे। एनआईटी की शर्त संख्या (8)1(i) और (8)(1)(iii), बाद में दस्तावेज़/कमी दस्तावेज़ जमा करने पर विशेष रूप से रोक लगाती है|एनआईटी शर्तों के अनुसार, बोलीदाता को बोली जमा करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होते हैं।यह स्पष्ट है कि बोलीदाताओं को दस्तावेज़ों की कमी को पूरा करने की अनुमति देने की पूर्व प्रथा बोली प्रक्रिया में अनुचित व्यवहार की गुंजाइश छोड़ती थी और इसलिए,पिछले अनुभव को देखते हुए, बाद के चरण में दस्तावेज़ों की अनुमति देने की उक्त प्रथा को बंद कर दिया गया है, जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार, ऊर्जाविभाग के पत्र 29.11.2023 से स्पष्ट है|**वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र राज्य खनन निगम द्वारा जारी दिनांक 14.06.2024 के अनुभव प्रमाण पत्र का हवाला दिया, जिसमें संयुक्त उद्यम समझौते की तिथि 02.12.2019 अंकित है। हालाँकि, आश्चर्यजनक रूप से,**

याचिकाकर्ता ने न तो बोली जमा करते समय और न ही याचिका दायर करते समय संयुक्त उद्यम का उक्त दस्तावेज़ रिकॉर्ड में दर्ज किया। यहाँ तक कि संयुक्त उद्यम समझौते का दस्तावेज़, जिसे याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 को भेजे गए ईमेल के साथ दायर किया है, सितंबर, 2019 का है, न कि 02.12.2019 का। याचिकाकर्ता ने उक्त संयुक्त उद्यम समझौता स्वयं दायर नहीं किया है। यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 02.12.2019 के संयुक्त उद्यम समझौते को छुपाया गया है और इसलिए, दिनांक 02.12.2019 के संयुक्त उद्यम समझौते को छिपाने के इस आधार पर, यह याचिका विफल हो जाती है|याचिकाकर्ता ने याचिका में या अन्यथा भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है दस्तावेज जमा न करने के लिए। इस प्रकार, याचिकाकर्ता अपनी प्रामाणिकता प्रदर्शित किए बिना अपना दावा प्रस्तुत नहीं कर सकता जो कि सभी दस्तावेजों को विधिवत जमा करके और सक्रिय दमन और छिपाने में शामिल न होकर किया जा सकता था...।"

(बल दिया गया)

10. इसके पश्चात , संयुक्त उद्यम समझौते के खंड 3.12, 3.13 और 8.5 के आलोक में दूसरे प्रतिवादी द्वारा किए गए लिखित प्रस्तुतियों का उल्लेख करते हुए,
पीठ ने अभिनिर्धारित किया :-

"24. प्रतिवादी संख्या 2 की अतिरिक्त प्रस्तुतियाँ मजबूत हैं और यह स्पष्ट है कि किसी भी स्थिति में, **यद्यपि उपर्युक्त दस्तावेज़ याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान किए गए हों,याचिकाकर्ता अयोग्य घोषित कर दिया जाता क्योंकि उसकीवाशरियाँ महाराष्ट्र राज्य खनन निगम लिमिटेड को केवल संयुक्त उद्यम समझौते दिनांक 02.12.2019 के अनुसार प्रतिबद्ध थीं**। यहाँ तक कि महाराष्ट्र राज्य खनन निगम लिमिटेड द्वारा याचिकाकर्ता को जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र में भी स्पष्ट रूप से संयुक्त उद्यम समझौते दिनांक 02.12.2019 का उल्लेख है।"

(बल दिया गया)

11. उपरोक्त निष्कर्षों के दृष्टिगत, खंडपीठ ने रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिससे वर्तमान अपील का उद्गम हुआ।

12. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नरेन्द्र हुड्डा,प्रथम प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बिजेन्द्र चाहर, और द्वितीय प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान और श्री बलबीर सिंह को सुना गया।

विश्लेषण

13. ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने न केवल निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा अपीलकर्ता को एनआईटी की धारा 5(डी) का पालन न करने के कारण अयोग्य ठहराए जाने को यथावत रखा, बल्कि एक पग आगे बढ़कर यह भी कहा कि यदि संयुक्त उद्यम समझौता

प्रस्तुत किया गया होता, तो भी अपीलकर्ता अयोग्य माना जाता क्योंकि उसकी वाशरी विशेष रूप से एमएसएमसी के लिए प्रतिबद्ध थी।

(I) <u>एनआईटी के खंड 5(डी) के अंतर्गत अपीलकर्ता की निर्योग्यता</u>

14. सबसे पहले, यह विचारणीय है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा धारा 5(डी) के अंतर्गत अपीलकर्ता की अयोग्यता को यथावत रखने का निर्णय संयुक्त उद्यम समझौता प्रस्तुत न करने के कारण उचित है या नहीं?

15. एनआईटी के खंड 5(डी) के अनुसार बोलीदाताओं को समान कार्य में पिछले अनुभव से संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। इस खंड में आगे यह भी प्रावधान था कि "*बोलीदाता को निविदा के पिछले अनुभव मानदंडों को पूरा करने के लिए अपने पिछले सहायता संघ या संयुक्त उद्यम (यदि सहायता संघ करार में परिभाषित है तो उस सहायता संघ में उसके भाग के अनुपात में, अन्यथा, यदि सहायता संघ में परिभाषित नहीं है तो प्रमुख भागीदार) के पूर्व अनुभव का उपयोग करने की अनुमति* है।" उक्त खंड के उप-खंड 1 और 2 में कहा गया है कि निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने हैं:-

> *"1. **ग्राहकों द्वारा कार्य निष्पादन प्रमाण पत्र** उपरोक्त कार्य आदेश की स्व-सत्यापित, अमूल्यांकित प्रतियों सहित प्रस्तुत किया जाना चाहिए।*

2. **पूर्व प्रदर्शन प्रमाणपत्रों** के लिए - **यदि आपने पूर्व में** MPEB/MPSEB/MPPGCL **के साथ** समान कार्य किया है, तो इसके लिए संतोषजनक प्रदर्शन प्रमाणपत्र प्रदान करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर, प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।"

(मूल पर बल)

अपीलकर्ताओं ने एमएसएमसी से एक कार्य निष्पादन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था |साथ ही अपनी बोली के साथ पिछले पाँच वर्षों में डब्ल्यूसीएल में निष्पादित समान कार्यों के लिए एक संघ/संयुक्त उद्यम के 45% आनुपातिक सदस्य के रूप में अपने पिछले अनुभव का समर्थन किया था। प्रमाणपत्र का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

"*......यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्तअनुबंध समझौते के भाग के रूप में, मेसर्स महा मिनरल माइनिंग एंड बेनेफिशिएशन प्राइवेट लिमिटेड, **मेसर्स हिंद महा मिनरल एलएलपी का 45% संयुक्त उद्यम/संघ भागीदार होने के नाते, दिनांक 02.12.2019 के संयुक्त उद्यम समझौते** (मेसर्स हिंद महा मिनरल एलएलपी द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत) के तहत, 05.03.2021 से 05.03.2024 की अवधि के लिए डब्ल्यूसीएल कमांड के संबंध में उक्त कार्य निष्पादित किया है। विवरण इस प्रकार हैं:*

क. उठाए गए RoM कोयले की मात्रा: 1,41,55,130.40 मीट्रिक टन

ख. धुले RoM कोयले की मात्रा: 1,17,95,440.46 मीट्रिक टन

ग. महाजेनको को आपूर्ति किए गए धुले कोयले की मात्रा टीपीएस: 1,17,47,501.99 मीट्रिक टन

घ. निष्पादित कार्य का अनुमानित मूल्य: 465 करोड़ रुपये।"

(बल दिया गया)

16. उपरोक्त प्रमाण पत्र स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अपीलकर्ता की मेसर्स हिंद महा मिनरल एलएलपी नामक एक संयुक्त उद्यम संघ में 45% भागीदारी थी और उसने एनआईटी के खंड 5(डी) के अनुसार अपेक्षित समान प्रकृति का कार्य सफलतापूर्वक निष्पादित किया था।

17. समिति ने इस प्रकार के प्रमाण पत्र पर भरोसा करने से इनकार कर दिया:-

1. "(v) *निविदा शर्तों के अनुसार, सहायता संघ/संयुक्त उद्यम समझौते के अलावा किसी अन्य दस्तावेज़ को एनआईटी के अनुसार उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस प्रकार, मेसर्स महा मिनरल माइनिंग एंड बेनेफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र को इसके लिए वैध दस्तावेज़ नहीं माना जा सकता।"*

18. यद्यपि उपरोक्त खंड में संयुक्त उद्यम समझौते को प्रस्तुत करने का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, प्रतिवादियों का तर्क है कि किसी संघ/संयुक्त उद्यम में बोली लगाने वाले का आनुपातिक भाग केवल संयुक्त उद्यम समझौते को प्रस्तुत करके ही स्थापित किया जा सकता है और अनुबंध/निविदा दस्तावेज़ में प्रयुक्त शब्दों को उद्देश्यपूर्ण तरीके से पढ़ा जाना चाहिए ताकि दस्तावेज़ का कोई भी भाग अनावश्यक न हो। प्रतिवादियों का यह भी तर्क है कि अपीलकर्ता ने अपनी बोली अंतिम दिन प्रस्तुत की थी और पिछली कॉल के दौरान अपीलकर्ता के पास यह स्पष्टीकरण मांगने का विकल्प था कि क्या संयुक्त उद्यम समझौता प्रस्तुत करना अनिवार्य था। अपीलकर्ता ने ऐसा नहीं किया और संयुक्त उद्यम समझौते में असुविधाजनक खंडों के प्रकटीकरण से बचने के लिए बोली प्रस्तुत करते समय जानबूझकर संयुक्त उद्यम समझौते को दबा दिया। यह अपीलकर्ता के आचरण से स्पष्ट है क्योंकि बोली जमा करने के बाद, उसने दिनांक 06.09.2019 का एक कथित संयुक्त उद्यम

समझौता ईमेल किया था, जबकि प्रमाणपत्र में उल्लिखित संयुक्त उद्यम समझौता एक अलग समझौता था। बहरहाल, 29.11.2023 के परिपत्र के साथ पठित खंड 8.1 के आलोक में, बाद में संयुक्त उद्यम समझौता प्रस्तुत करने पर विचार नहीं किया जा सकता था।

19. हम निम्नलिखित कारणों से ऐसे तर्कों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं:-

i. खंड 5(डी) केवल यह कहता है कि अपीलकर्ता किसी पूर्ववर्ती संघ/संयुक्त उद्यम के पिछले अनुभव का उपयोग करने का अधिकारी होगा यदि संयुक्त उद्यम समझौते में उसका आनुपातिक हिस्सा परिभाषित किया गया हो ऐसा न करने पर पूर्व अनुभव को प्रमुख भागीदार के रूप में माना जाएगा। यह खंड ऐसे मानदंडों को पूरा करने के लिए संयुक्त उद्यम समझौते को स्वयं प्रस्तुत करने को अनिवार्य नहीं करता है। अपीलकर्ता ने एमएसएमसी द्वारा जारी कार्य निष्पादन प्रमाण पत्र पर भरोसा किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपीलकर्ता की मेसर्स हिंद महा मिनरल एलएलपी नामक संयुक्त उद्यम संघ में 45% हिस्सेदारी थी और उसने खंड के तहत आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में समान कार्य सफलतापूर्वक निष्पादित किया था। प्रमाण पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि संयुक्त उद्यम समझौता प्रस्तुत किया जा चुका था और एमएसएमसी के पास था।

ii. यह किसी का भी मामला नहीं है कि प्रथम प्रतिवादी ने प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता पर संदेह किया था, बल्कि अपीलकर्ता को इस आधार पर अयोग्य ठहराया था कि धारा 5(डी) के अनुसार, ऐसे अनुभव का उपयोग करने के लिए, पिछले संयुक्त उद्यम में आनुपातिक हिस्सेदारी साबित करने के लिए केवल संयुक्त उद्यम समझौते को प्रस्तुत करना अनिवार्य है, और कुछ नहीं।

iii. एनआईटी में शर्तें स्पष्ट और असंदिग्ध होनी चाहिए।यदि निविदा प्राधिकारी केवल संयुक्त उद्यम अनुबंध प्रस्तुत करने पर ज़ोर देता है और पूर्व संयुक्त उद्यम अनुभव का लाभ उठाने के लिए बोलीदाता के आनुपातिक हिस्से को पूर्व योग्यता के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कोई अन्य दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं करता है, तो इसे एनआईटी में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए था। ऐसा न करने पर, प्रथम प्रतिवादी अपीलकर्ता पर स्पष्टीकरण मांगने और ऐसे दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की ज़िम्मेदारी नहीं डाल सकता।चूँकि खंड 5(डी) में उस संयुक्त उद्यम में आनुपातिक हिस्सेदारी स्थापित करने के लिए संयुक्त उद्यम अनुबंध प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है,जिस संयुक्त उद्यम के पिछले अनुभव का बोलीदाता उपयोग करना चाहता है, ऐसे संयुक्त उद्यम को प्रस्तुत न करना एनआईटी के खंड 8.1 के अनुसार अधूरे दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए बोलीदाता को अयोग्य घोषित करने का आधार नहीं हो सकता। बेशक, अपीलकर्ता ने खंड 5(डी) के तहत आवश्यक कार्य निष्पादन

प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था, जो संयुक्त उद्यम समझौते में उसके आनुपातिक हिस्से को भी स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है जिसके पूर्व अनुभव पर उसने निर्भरता प्रकट की थी ।

iv. यद्यपि यह तर्क दिया गया है कि खंड 8.1 और साथ ही दिनांक 29.11.2023 के परिपत्र ने प्रथम प्रतिवादी पर बोली प्रस्तुत करने के बाद प्रस्तुत दस्तावेजों पर भरोसा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, फिर भी प्रथम प्रतिवादी को कार्य निष्पादन प्रमाणपत्र में प्रकट पूर्व संयुक्त उद्यम में अपीलकर्ता के आनुपातिक हिस्से के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने से कोई नहीं रोक सका। यह ध्यान देने योग्य है कि एनआईटी के खंड 8.8[10], जो एक गैर-बाधक खंड में निहित है, ने प्रथम प्रतिवादी को किसी भी बोलीदाता की पात्रता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए अतिरिक्त जानकारी मांगने का अधिकार सुरक्षित रखा है। प्रथम प्रतिवादी संयुक्त उद्यम समझौते की मांग करके खुद को मजबूत करके इस विवेकाधिकार का प्रयोग करने में विफल रहा, जिसे इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर, अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्र की सामग्री का स्पष्ट रूप से समर्थन किया गया था।

v. प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत अन्य तर्क यह है कि अपीलकर्ता ने संयुक्त उद्यम समझौते को दबाकर और बाद में विभिन्न चरणों में उक्त समझौते के विभिन्न संस्करण प्रस्तुत करके, अर्थात् प्रथम प्रतिवादी के समक्ष, विशेष अनुमति याचिका में और अंत में, अतिरिक्त दस्तावेजों के माध्यम से, दुर्भावनापूर्ण आशय से कार्य किया था।यह तर्क अस्वीकार्य है क्योंकि न तो खंड 5(डी) में आनुपातिक भागीदारी साबित करने के लिए संयुक्त उद्यम समझौते को प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी और न ही खंड 8.8 में: "उपरोक्त किसी भी बात के होते हुए भी , एमपीपीजीसीएल अनुबंध को निष्पादित करने की विश्वसनीयता, क्षमता और सामर्थ्य का आकलन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि परिस्थितियाँ उसके समग्र हित में इस तरह के आकलन को उचित ठहराती हैं, तो बोलीदाता अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा।एमपीपीजीसीएल बोलीदाता की पात्रता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए ऐसी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।" (बल दिया गया)अपीलकर्ता से ऐसे दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। इसके अतिरिक्त ,संघ में अपीलकर्ता का आनुपातिक भाग जैसा कि सभी दस्तावेज़ों में दर्शाया गया है, अर्थात्, प्रथम प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत संयुक्त उद्यम समझौता जो विशेष अनुमति याचिका के साथ संलग्न हैऔर अतिरिक्त दस्तावेज़ों वाला समझौता, वही है और बोली में प्रस्तुत कार्य निष्पादन प्रमाण पत्र के अनुरूप है।इन कारणों से, हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि अपीलकर्ता ने जानबूझकर संयुक्त उद्यम समझौते को छुपाया था या अदालत में अस्वच्छ हाथों से आया था।

vi. अंत में, मेसर्स हिंद महा मिनरल एलएलपी के कंसोर्टियम भागीदारों के बीच लंबित दीवानी विवाद के संबंध में द्वितीय प्रतिवादी का तर्क भी बहुत कम महत्व रखता है। इस विवाद का संयुक्त उद्यम समझौते में अपीलकर्ता के आनुपातिक हिस्से और एमएसएमसी के लिए कंसोर्टियम के एक भाग के रूप में अपीलकर्ता द्वारा निष्पादित कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसा कि कार्य निष्पादन प्रमाण पत्र में दर्शाया गया है।

20. इन परिस्थितियों में, हम यह मानने के लिए इच्छुक हैं कि प्रथम प्रतिवादी ने एनआईटी की शर्तों के विपरीत कार्य किया और संयुक्त उद्यम समझौता प्रस्तुत न करने के कारण अपीलकर्ता की बोली को अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया, हालाँकि खंड 5(डी) में ऐसे समझौते को प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं बताया गया था,ऐसे संघ के पिछले अनुभव पर भरोसा करने के लिए जिसमें बोलीदाता का एक निश्चित आनुपातिक हिस्सा था।

21. तदनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा खंड 5(डी) के अनुसार बरकरार रखा गया समिति का निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है।

<u>(II) एनआईटी के खंड 5(बी) के अंतर्गत अपीलकर्ता की अयोग्यता</u>

22. हालाँकि, उच्च न्यायालय ने एक कदम आगे बढ़कर, समिति द्वारा दिए गए कारणों से आगे बढ़ते हुएयह माना कि अपीलकर्ता अन्यथा एनआईटी की धारा 5(बी) के अंतर्गत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। धारा 5(बी) इस प्रकार है -

> "वाशरी का विवरण:
>
> बोलीदाता के पास हेवी मीडिया साइक्लोन या हेवी मीडिया बाथ या वेट जिग तकनीक वाली अपनी वाशरी होनी चाहिए। **बोलीदाता के पास न्यूनतम अतिरिक्त वाशिंग क्षमता होनी चाहिए जो वेट तकनीक का उपयोग करते हुए वार्षिक निविदा मात्रा का 50% हो, अर्थात 5 लाख मीट्रिक टन 540(एलएमटी), निविदा में निर्दिष्ट डब्ल्यूसीएल की खदानों के आसपास के क्षेत्र में**। खदानों से प्रस्तावित वाशरी(यों) और प्रस्तावित वाशरी (यों) से रेलवे साइडिंग की कुल दूरी 100 किमी से अधिक नहीं होगी।"

(बल दिया गया)

23. इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए उच्च न्यायालय ने दूसरे प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्कों पर भरोसा किया और माना कि संयुक्त उद्यम समझौते के खंड 3.12,

3.13और 8.5 के अनुसार अपीलकर्ता की वाशरी एमएसएमसी के प्रति प्रतिबद्ध थीं और वर्तमान निविदा के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता था।श्री हुड्डा ने सही तर्क दिया कि यह मुद्दा पहली बार लिखित प्रस्तुतियों में उठाया गया था और उनके मुवक्किल को इसका खंडन करने का अवसर नहीं मिला। हमारे सामने रखे गए एक चार्ट का हवाला देते हुए,11 उन्होंने दृढ़ता से तर्क दिया कि अपीलकर्ता की गोंडेगांव वाशरी की अतिरिक्त क्षमता 1.5 एमएमटीपीए12 थी जो एनआईटी के खंड 5(बी) के अंतर्गत आवश्यक अतिरिक्त क्षमता से बहुत अधिक थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि एमएसएमसी से अनुरोध13 किया गया था कि वे अपना परिचालन अन्य वाशरियों में स्थानांतरित करेंएमएसएमसी और कंसोर्टियम के बीच निष्पादित अनुबंध समझौते के खंड 614 के अनुसार,और *गोंडेगांव* वाशरी वर्तमान एनआईटी के तहत कार्य निष्पादन के लिए उपलब्ध थी।

24. हमारा विचार है कि उपरोक्त मुद्दा विवादास्पद है और उच्च न्यायालय को अपीलकर्ता को इसका विरोध करने का अवसर दिए बिना इस पर निर्णय नहीं देना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की भी अपेक्षा कर दी कि समिति ने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया था और समिति द्वारा दिए गए कारणों से आगे बढ़कर अपीलकर्ता को अयोग्य ठहराना अनुचित था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि दूसरे प्रतिवादी को कार्य आदेश का आवंटन इस कार्यवाही के परिणाम के अधीन कर दिया गया है।

25. इन कारणों से, हम मामले को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेजते हैंकि क्या अपीलकर्ता के पास एनआईटी के खंड 5(बी) के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त धुलाई क्षमता थी और इस निर्णय के आलोक में दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में कार्य आदेश की वैधता क्या थी। उच्च न्यायालय यदि ठेकेदार (एलएलपी) द्वारा वाशरी/रेलवे साइडिंग में किसी भी बदलाव का अनुरोध किया जाता है, तो इससे एमएसएमसी पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ना चाहिए" (जोर दिया गया)|उच्च न्यायालय इस मामले का यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश के संप्रेषण की तिथि से दो माह के भीतर, निर्णय करें।

26. उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश को रद्द किया जाता है और अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।मामले का परिणाम: अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

†शीर्षक नोट्स निधि जैन द्वारा तैयार किए गए|

1 आईडी 2024_एमपीपीजीसी_341576_1, जिसे आगे "एनआईटी" कहा जाएगा।

2 इसके आगे "डब्ल्यूसीएल" कहा जाएगा

3 रुखमाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

4 इसके आगे "समिति" कहा जाएगा।

5 *खंड 5(डी): "पूर्व अनुभव: बोलीदाता के नाम पर समान या समान कार्य के लिए सफलतापूर्वक निष्पादित आदेशों (आंशिक रूप से निष्पादित सहित) की प्रतियां {समान कार्य का अर्थ है सीआईएल की सहायक कंपनियों या एससीसीएल क्षेत्र की खदानों से कोयला उठाना, कोयला लाभकारीकरण (गीली प्रक्रिया के माध्यम से), वाशरी से सड़क मार्ग से धुले हुए कोयले की ढुलाई*रेलवे साइडिंग तक और रेलवे के माध्यम से धुले हुए कोयले की ढुलाई, जिसमें रेलवे/सीआईएल की सहायक कंपनियों या एससीसीएल क्षेत्र के साथ संपर्क करने का अनुभव हो, अर्थात रेक की व्यवस्था करना, अपनी या पट्टे पर ली गई |निजी साइडिंग या माल शेड रेलवे साइडिंग से धुले हुए कोयले को रेलवे वैगनों में लोड करके, अपनी व्यवस्था के माध्यम से रेक की आवाजाही आदि की निगरानी करके गंतव्य पावर हाउस तक कोयला भेजना}|**बोलीदाता को निविदा के पिछले अनुभव मानदंडों को पूरा करने के लिए अपने पिछले कंसोर्टियम या संयुक्त उद्यम (यदि कंसोर्टियम समझौते में परिभाषित किया गया है तो उस कंसोर्टियम में उसके हिस्से के अनुपात में, अन्यथा, यदि कंसोर्टियम में परिभाषित नहीं है तो प्रमुख भागीदार) के पिछले अनुभव का उपयोग करने की अनुमति है।** आदेश प्रतियों में 4 लाख मीट्रिक टन (4,00,000 मीट्रिक टन) या उससे अधिक मात्रा के लिए उपरोक्त कार्य का संकेत होना चाहिए। स्वामित्व वाली विद्युत उत्पादन कंपनियों या पीएसयू या एनटीपीसी या सरकारी उद्योगों/विभागों या अर्ध-सरकारी उद्योगों/विभागों या पीएसयू या भारत में किसी भी पीएसयू की नोडल एजेंसी की अन्य कैप्टिव पावर यूटिलिटीज द्वारा बोली खोलने की प्रारंभिक तिथि को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों में निष्पादित किए गए कार्य अपलोड किए जाने चाहिए। यह आदेश निष्पादन बारह (12) माह की अवधि के भीतर होना चाहिए। यह एकल या एकाधिक आदेशों (समानांतर में) के माध्यम से हो सकता है, लेकिन एकाधिक आदेशों के मामले में; ये बारह (12) माह की एकल समयावधि के भीतर होने चाहिए।

1. ग्राहकों द्वारा कार्य निष्पादन प्रमाणपत्र के साथ-साथ उपरोक्त कार्य आदेश की स्व-सत्यापित, बिना मूल्यांकित प्रतियाँ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

2. पूर्व निष्पादन प्रमाणपत्रों के लिए - यदि पूर्व में एमपीईबी/एमपीएसईबी/एमपीपीजीसीएल के साथ समान कार्य किया गया है,तो उसके लिए संतोषजनक निष्पादन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर, प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।" (बल दिया गया)|

6.रिट याचिका संख्या 18286/2024

7.इसके पश्चात् इसे "जेवी" कहा जाएगा।

8.इसके पश्चात् इसे "एमएसएमसी" कहा जाएगा।

9. परिपत्र दिनांक 29.11.2023: "विभाग के संज्ञान में आया है कि बोलीदाताओं को अपूर्ण दस्तावेजों के साथ बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जा रही है। बोलीदाताओं को शेष दस्तावेज समय पर जमा करने की अनुमति दी जाती है, और इस बीच कुछ बोलीदाता बोली प्रक्रिया से पीछे हट जाते हैं, जिससे कुछ बोलीदाताओं को बोली प्रक्रिया में भाग लेने और गैर-प्रतिस्पर्धी दरें उद्धृत करने का मौका मिल जाता है, जिससे विद्युत कंपनियों को वित्तीय नुकसान होता है। **इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि बोली जमा करते समय एनआईटी/निविदा दस्तावेज के अनुसार सभी वांछित दस्तावेज जमा नहीं करने वाले बोलीदाताओं को बाद में दस्तावेज जमा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और अपूर्ण दस्तावेजों के कारण उनकी बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।** यदि आवश्यक हो, तो प्रतिस्पर्धी दरें प्राप्त करने के लिए नई बोली भी आमंत्रित की जा सकती है। निर्देशानुसार, कृपया बोली प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने का अनुरोध है।"

(बल दिया गया)

10. खंड 8.8: "ऊपर बताई गई किसी भी बात के होते हुए भी, एमपीपीजीसीएल अनुबंध की विश्वसनीयता, योग्यता और निष्पादन की क्षमता का आकलन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि परिस्थितियाँ उसके समग्र हित में ऐसा आकलन आवश्यक बनाती हैं, तो बोलीदाता अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा। **एमपीपीजीसीएल बोलीदाता की पात्रता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए ऐसी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।**" (बल दिया गया)

11.द्वितीय प्रतिवादी द्वारा दायर प्रति-शपथपत्र पर अपीलकर्ता के प्रत्युत्तर में अनुलग्नक P-34।

12. मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष।

13 द्वितीय प्रतिवादी द्वारा दायर प्रति-शपथपत्र पर अपीलकर्ता के प्रत्युत्तर में दिनांक 14.06.2024 का पत्र, P-36 के रूप में संलग्न।

14 खंड 6: "स्वीकृत दरें:- कच्चे कोयले के लाभकारीकरण के लिए स्वीकृत दरें नीचे दी गई हैं (जीएसटी को छोड़कर)। यदि ठेकेदार(एलएलपी) द्वारा वाशरी/रेलवे साइडिंग में किसी भी बदलाव का अनुरोध किया जाता है, तो इससे एमएसएमसी पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ना चाहिए|" (बल दिया गया)।

(बुशरा सिद्दीकी द्वारा अनुवादित)